न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 36/2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. श्री मोटाराम पुत्र श्री देराजराम जाति जाट, निवासी नागाणा, मूढों की ढाणी, बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री डालूराम गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 29.04.2023 को श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं मै सुरेश विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर के द्वारा संयुक्त रूप से सिणधरी रोड़ पर घरेलु गैस के दुरूपयोग की जॉच करने हेतु पहुँचे। मौके पर वक्त जॉच दुकान मालिक श्री मोटाराम पुत्र श्री देराजराम जाति जाट निवासी नागाणा, मूढों की ढाणी, बाड़मेर उपस्थित मिले। मौके पर उक्त दुकान में एक घरेलु सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर खाली घरेलू सिलेण्डर में एक बांसूरी के माध्यम से गैस भरने का कार्य किया जाना पाया। इस दुकान की जॉच पर दो बांसूरी, तीन गैस भरने के यंत्र एवं 4 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये तथा दुकान के सामने लगी एक पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 जिसके आगे व पीछे नम्बर नहीं लिखे हुए थे, जिसमें 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मिले। उक्त [illegible] घरेलु सिलेण्डर (IOCL, BPCL,HPCL) मार्क के पाये गये जिनका [illegible] निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	746515E	IOCL	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
2.	646879P	IOCL	17.600 Kg	16.100 Kg	1.500 Kg
3.	294077T	HPCL	28.700 Kg	15.700 Kg	13.000 Kg
4.	070448S	BPCL	15.900 Kg	15.900 Kg	0.000 Kg
5.	344055S	HPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
6.	042579P	IOCL	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
7.	158821S	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
8.	266265P	HPCL	29.600 Kg	15.400 Kg	14.200 Kg
9.	435775S	HPCL	29.600 Kg	15.500 Kg	14.100 Kg
10.	437527T	HPCL	30.000 Kg	16.000 Kg	14.000 Kg
11.	232028P	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
12.	316692S	HPCL	30.400 Kg	16.100 Kg	14.300 Kg
13.	234034T	HPCL	30.000 Kg	15.900 Kg	14.100 Kg
14.	65513T	HPCL	30.000 Kg	16.800 Kg	13.200 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के 14 गैस सिलेण्डर मय गैस का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र तथा प्रयुक्त सफेद रंग की बोलेरो पिक–अप गाड़ी को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 14 घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र मैसर्स लक्ष्मी गैस टर्निनल, बाड़मेर के मैनेजर श्री मंगनाराम जाति जाट, हाल निवासी लक्ष्मी गैस टर्मिनल, बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गये तथा सफेद रंग की बोलेरो पिक–अप गाड़ी रिको पुलिस थाना बाड़मेर के माल खाना प्रभारी शेरसिंह 953 को सुपुर्द की गयी। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिले[illegible] संग्रह का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह करना, अवैध [illegible] द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनि[illegible]) आदेश [illegible] का उल्लघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा [illegible]7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर, सफेद रंग की बोलेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पिक–अप को राजसात करवाते हुए अंतरिम नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित वाक्यात एवं संलग्न दस्तावेजात के प्रतिकूल अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिरक्षणीय अभिकथन प्रकट नहीं किया गया है, जिससे अप्रार्थी की उक्त अपराध के प्रति मौन स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है, फलस्वरूप प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य लिये जाने एवं इस्तगासा को संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। अप्रार्थी द्वारा दुकान में एक घरेलु सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर खाली घरेलू सिलेण्डर में एक बांसूरी के माध्यम से गैस भरने का कार्य किया जाना पाया। इस दुकान की जॉच पर दो बांसूरी, तीन गैस भरने के यंत्र एवं 4 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये तथा दुकान के सामने लगी एक पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 जिसके आगे व पीछे नम्बर नहीं लिखे हुए थे, जिसमें 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मिले तथा इस संबंध में कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब/कारण प्रकट नहीं किये जाने पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र तथा एक पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 का उपयोग अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिरक्षणीय अभिकथन प्रकट नहीं किया गया है, जिससे अप्रार्थी की उक्त अपराध के प्रति मौन स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है,। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप जब्तशुदा घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र तथा एक पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 को राजसात किये जाने का समुचित आधार पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये जब्तशुदा अवैध 14 घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र तथा एक सफेद रंग की पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे पुलिस थाना रिको, बाड़मेर द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त वाहन पिक–अप बोलेरो गाडी 4X4 संख्या आरजे 04 जीसी 3648 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य 7,50,000 लाख का जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 श्री मोटाराम पुत्र श्री देराजराम जाति जाट निवासी नागाणा, मूढों की ढाणी, बाड़मेर पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई 14 घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र उक्त की राशि के अतिरिक्त है, जो वाहन मालिक द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा करने के दायी हैं। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन बोलेरो पिक–अप के पेटे अधिरोपित जुर्माना राशि नियमानुसार वसूली हेतु कार्यवाही करावें। इसके अलावा उक्त राजसात किये गये जब्तशुदा अवैध 14 घरेलू गैर सिलेण्डर, दो बांसुरी तथा तीन गैस भरने का यंत्र का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी बाड़मेर एवं पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested